

	राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) (CIN : U74899DL1963PLC003913) केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़ (राज.) फैक्स-01509-238027	NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED (A Government of India Undertaking) (CIN : U74899DL1963PLC003913) CENTRAL STATE FARM, SARDARGARH PHONES: (01509-238027, 238056 (Office) Tele – Fax :- 01509-238027 e-mail – directorcsfsrc@gmail.com
---	---	---

निविदा सूचना

सम्बन्धित संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि फार्म को, डिग्गी कैम्प एवं सरूपसर खण्ड 5 से जैतसर मण्डी के स्कूलों में फार्म के बच्चों को ले जाने व लाने हेतु किराये पर स्कूल बस एक वर्ष (जुलाई, 2015 से जून, 2016) के लिए चाहिये। स्कूल बस 25 सीटर की होनी चाहिए। बस का रजिस्ट्रेशन 2008 से पुराना न हो। बस प्रतिदिन लगभग 22 कि०मी० चलेगी। इच्छुक पार्टियां जो सभी शर्तों को पूरा करती हो धरोहर धनराशि रु. 20000/- (बीस हजार) के बैंक ड्राफ्ट जो कि 'नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड सरदारगढ़' के नाम सूरतगढ़ पर देय हो, साथ लगाकर बन्द निविदा दिनांक 17.06.2015 को सांय 3 बजे तक प्रस्तुत करें। प्राप्त निविदाएं दिनांक 17.06.2015 को खुली बोली के पश्चात निविदादाताओं के सामने खोली जायेगी। यदि उपरोक्त दिनांक को दर तय नहीं हो सकी तो दिनांक 22.06.2015 को दोबारा निविदायें ली जायेगी। निविदा फार्म इस कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में फीस रु० 100/- (कर सहित) जमा करके लिया जा सकता है। निविदा फार्म, निगम की वेब साईट www.indiaseeds.com से डाउनलोड किया जा सकता है जिसकी फीस रु०.100/- डिमाण्ड ड्राफ्ट निविदा के साथ संलग्न करें।

निविदा की अन्य शर्तें मौके पर पढ़कर सुना दी जायेंगी। अन्य जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस पर उपरोक्त कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।

सहायक प्रबंधक (यांत्रिक)

केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़(राज.)

केन्द्रीय राज्य फार्म सरदारगढ़ के स्कूली बच्चों को स्कूल ले जाने व लाने के लिए किराये पर स्कूल बस लगाने हेतु नियम एवं शर्तें ।

1. बस मालिक बस के लिए तेल इत्यादि का स्वयं प्रबंध करेगा और किसी परिस्थिति में तेल (पी0 ओ0 एल0) इत्यादि फार्म की कार्यशाला से नहीं दिया जायेगा ।
2. बस 25 सीटर होनी चाहिए और बस का विस्तृत बच्चों सहित बीमा होना आवश्यक है (सर्टिफिकेट निविदा के साथ संलग्न करें) ।
3. बस के मालिक को सरकारी कर जमा कराने की पूर्ण जिम्मेदारी होगी ।
4. फार्म अधिकारियों के निर्देश के अनुसार ही बस को चलाना होगा ।
5. बस का मॉडल 2008 से पुराना नहीं होना चाहिए और सड़क पर अच्छी तरह चलने योग्य होनी चाहिए (आर.सी., बीमा, परमिट और फिटनेस की फोटोकॉपी निविदा के साथ संलग्न करें)
6. बस मालिक को एक बस चालक और एक परिचालक बस पर लगाना होगा और चालक परिचालक को राज्य परिवहन प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की गई वर्दी ही पहननी होगी ।
7. चालक के पास बस चलाने के लिए मान्य लाइसेंस होना चाहिए जिसकी प्रति कार्यालय में देनी होगी ।
8. बस का रंग राज्य परिवहन प्राधिकारी द्वारा तय किया ही होना चाहिए ।
9. इस समय बस केवल एक साल के लिए ही लगाई जा रही है आवश्यकता अनुसार समय सीमा बढ़ाई व घटाई जा सकती है ।
10. बस के किराये का भुगतान केवल ग्यारह महिनो का ही अर्थात् गर्मीयो की छुट्टीयो का अवकाश काट कर ही किया जायेगा ।
11. बस खराब होने की स्थिति में यदि फार्म द्वारा स्कूल के बच्चों को लाने एवं भिजवाने हेतु स्वयं व्यवस्था करनी पड़ती है तो बस मालिक को रुपये 2500/- प्रतिदिन के हिसाब से अदा करने होंगे ।
12. फार्म निदेशक को पूर्ण अधिकार होगा कि वह बिना कारण बताए किसी भी निविदा या खुली बोली को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। निविदा खुली बोली के पश्चात खोली जाएगी ।
13. कार्य आरम्भ करने से पहले ठेकेदार को फार्म से अनुबंध करना होगा । ठेकेदार को फार्म से अनुबंध 100 रुपये के स्टाम्प कागज पर किया जायेगा और उसमें सभी नियम व शर्तें अंकित की जायेगी । स्टाम्प पेपर की कीमत ठेकेदार को वहन करनी होगी ।
14. बोली / निविदा देने से पहले धरोहर राशि रुपये 20000/-का ड्राफ्ट जो कि 'नेशनल सीडस कारपोरेशन लिमिटेड सरदारगढ़' के नाम सूरतगढ़ पर देय हो, फार्म खंजाची के पास जमा करानी होगी । धरोहर राशि एक वर्ष के बाद सफलता पूर्वक कार्य पूरा करने पर वापिस की जायेगी जिस पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा । असफल बोलीदाताओं की धरोहर राशि चैक द्वारा लौटा दी जायेगी ।
15. निदेशक को बस का समय स्कूलों के समय अनुसार बदलने का अधिकार होगा। हालांकि 24 घंटे की सूचना देनी होगी ।
16. तीन महीने की सूचना देकर किसी भी पार्टी द्वारा समझौता रद्द किया जा सकता है ।
17. फार्म को अधिकार होगा कि यदि ठेकेदार फार्म द्वारा निर्धारित की गई शर्तों के अनुसार तथा स्कूल प्राधिकारी के हित में कार्य नहीं करता है तो ठेकेदार का ठेका बिना किसी सूचना के समाप्त किया जा सकता है ।

18. बस केन्द्रीय राज्य फार्म सरदारगढ के डिग्री कैम्प व फार्म के प्लॉक संख्या 05 (सरूपसर) से बच्चों को लेकर जैतसर मण्डी के स्कूलो मे छोड़ेगी और स्कूल बन्द होने के बाद वापिस सरूपसर डिग्री कैम्प लाएगी ।
19. बिल पेश करने के 15 दिन पश्चात चेक द्वारा भुगतान किया जायेगा और आयकर नियमानुसार काटा जायेगा । सर्विस टैक्स इत्यादि सभी आवश्यक करों का भुगतान बस मालिक द्वारा स्वयं वहन करना होगा ।
20. बस के चालक को रहने हेतु फार्म में कोई व्यवस्था नहीं की जायेगी ।
21. परिक्षाओं के दौरान बस दिन में दो बार आवश्यकतानुसार चलानी होगी और उसके लिए अलग से कोई भुगतान नहीं दिया जायेगा ।
22. बस द्वारा बच्चों को स्कूल के समयानुसार लाने व ले जाने की समस्त जिम्मेदारी बस मालिक की होगी ।
23. बस मालिक को अनुबंध के दौरान कुल अनुबंध राशि का 10% सिक्योरिटी राशि के रूप में जमा करानी होगी जो की अनुबंध सन्तोषजनक कार्य के समाप्ति के बाद लौटा दी जायेगी जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा ।
24. यदि बस मालिक बीच में एकाएक अनुबंध समाप्त करता है तो उसकी धरोहर राशि व 10% सिक्योरिटी राशि जब्त कर ली जायेगी ।
25. बस मालिक को पेनकार्ड/टेन कार्ड की फोटो कॉपी फार्म कार्यालय में जमा करानी होगी ।
26. स्कूल बस में फार्म के बच्चों के अलावा बाहरी किसी भी बच्चों को जाने की अनुमति नहीं होगी ।
27. बस मालिक को स्कूल बस स्कूल आरम्भ से सत्रावसान तक आपूर्ति करनी होगी ।
28. यदि स्कूल बस के आने व जाने के दौरान किसी बच्चे की तबियत खराब होती है तो उसे PHC जैतसर व फार्म के कार्यालय में तुरन्त सूचना देनी होगी ।

इस संबंध में कोई वाद-विवाद होने पर निगम के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक या उसके प्रतिनिधि को आरबीट्रेशन के लिये भेजा जायेगा । अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक या उसके प्रतिनिधि / राजपत्रित अधिकारी के पद से कम नहीं (आरबीट्रेटर) और उसका फैसला अंतिम तथा दोनों पक्षों को मान्य होगा ।

सहायक प्रबंधक (यांत्रिक)

निविदा फार्म

सेवा में,

निदेशक,
केन्द्रीय राज्य फार्म
सरदारगढ (राज.)

श्री मान जी

आप द्वारा स्कूल बस के लिये मांगी गई निविदा जो कि दिनांक: 17.06.2015 को खुलनी है के सन्दर्भ में अपने रेट एक वर्ष के लिय दे रहा हूँ ।

1. मैं निविदा के साथ रु20000.00 का ड्राफ्ट सगलन कर रहा हूँ ।
2. बस केन्द्रीय राज्य फार्म सरदारगढ क्षेत्र में स्थित डिग्गी कैम्प व फार्म के प्लॉक संख्या 05 (सरूपसर) से वच्चो को लेकर जैतसर मण्डी के स्कूलों में छोड़ेगी और स्कूल बन्द होने के बाद वापिस सरूपसर डिग्गी कैम्प छोड़ेगी ।
3. मेरी बस ट्रांसपोर्ट एथोरटी द्वारा उपरोक्त कार्य हेतु पास है ।
4. मेरी 25 सीट की बस का मॉडलहै, तथा किराया रु.....प्रति माह होगा ।
5. मुझे फार्म कि सभी शर्तें मंजूर है ।

भवदीय

हस्ताक्षर

नाम.....

पिता का नाम.....

पता.....

फोन नम्बर

पेन नम्बर.....